संख्या:248/2015/2813जेएल/22-3-15-100(81)/2015

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 16 सितम्बर, 2015***

विषय: जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध विचाराधीन महिला बंदी गीताजंली उर्फ गीता पत्नी श्री ऊधम सिंह, निवासी जनपद-मेरठ को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र किसी कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-34384/सामा-1(3)/03 मेरठ मं0/2011, दिनांक 17-08-2015 में की गयी संस्तुति एवं मा0 न्यायालयों द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध विचाराधीन महिला बंदी गीताजंली उर्फ गीता पत्नी श्री ऊधम सिंह को जिला कारागार, सिद्धार्थनगर में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या:248/2015/2813जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।
2. वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, मेरठ/अधीक्षक, जिला कारागार, सिद्धार्थनगर।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।